न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
028

तारीख दायर
19.01.2022

तारीख फैसला
08/09/2022

दावा :-

1. धर्मवीर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मालियर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर

-----:: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लेण्ड होल्डर तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

-: निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 480/2 रकबा 0.1050 है0 वाके ग्राम मालियर जटट तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जो कि मिन प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिसका इन्द्राज दरम्यान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी मिन प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है, जिस पर मिन प्रार्थी वक्त खरीद से काबिज व दाखिल चला आ रहा है जो कि मिन प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। पूर्व में नक्शा कसीद करते वक्त प्रार्थी की उक्त आराजी को नक्शे में दर्शित किया गया था, जो नक्शा मौका के हिसाब से सही कसीद किया गया था किन्तु हाल नक्शा कसीद में उक्त पूर्व नक्शा के विपरित आराजी कम करके पैमुद कर दिया। हाल नक्शा पैमुद करते वक्त मिन प्रार्थी का रकबा 0.1051 है0 के स्थान पर 0.08 है0 गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसमें 0.0250 है0 आराजी कम दर्ज की है तथा मिन प्रार्थी के हिस्से की 0.0250 है0 आराजी को खसरा नम्बर 480/1, 480/3 व 480/4 में मिला दिया गया है जो मिन प्रार्थी के हकूकों के विरूद्व बातिल वो बेअसर है, जिससे मिन प्रार्थी के हकूकों पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए मिन प्रार्थी हाल नक्शे को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि पूर्व में जो नक्शा कसीद किया गया है वो मौका के हिसाव से सही किया गया है किन्तु हाल आराजी खसरा नम्बर 480/2 रकबा 0.1050 है0 वाके ग्राम मालियर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर के हाल नक्शा में जो डिमारकेशन गलत अंकन किया गया है जो मिन प्रार्थी के हकूकों के विरूद्व वातिल वो बेअसर है का शुद्व किया जाकर सही नक्शा पैमुद करवाया जावें।

पत्रावली पर तहसीलदार तिजारा की रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार तिजारा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व जमाबन्दी संवत् 2075–78 अनुसार खसरा नम्बर 480/2 रकबा 0.1050 किस्म जाव 2 धर्मवीर पुत्र राजाराम जाति जाट सा. मालियर जटट खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2071–74 द्वारा खसरा नम्बर 480 शामिल ममता देवी पत्नी दिवानचन्द, बादामों पत्नी लख्मी चन्द, धर्मवीर पुत्र राजाराम के नाम खातेदारी दर्ज थी। संवत् 2071–74 के सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति से उक्त खसरा नम्बर 480 का विभाजन करवाया गया। नामान्तकरण संख्या 1614 दिनांक 21.07.2016 द्वारा विभाजन तहसीलदार तिजारा द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

त कर उक्त विभाजन जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। तत्समय लट्ठा नक्शे में कि गई तरमीम बटवारे प्रस्ताव अनुसार नहीं की गई है।

अतः खसरा नम्बर 480/2 रकबा 0.1050 किस्म जाव 2 धर्मवीर पुत्र राजाराम जाति जाट सा. मालियर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में सलंग्न नक्शा ट्रैस अनुसार राजस्व रिकार्ड र्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०